

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोम्प कोर्ट) कोम्प
राजसमन्द जिला राजसमन्द

प्रशासन गौरी कोम्प प्रशासन गौरी शिविर-2025

-: आदेश :-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी काबरा
व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार
तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् में खाता संख्या में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	गणेशपुरा	31	लाडुडी पालि च. वेणा हिस्सा - 1/2 जालि-चमार वाहिन हिस्सा - 1/2 (वर्ण खाल) SBBJ काबरा राजपुरा स्त्रीबा	लाडुडी पालि च. वेणा हिस्सा - 1/2 जालि-चमार वाहिन हिस्सा - 1/2 (वर्ण खाल) SBI काबरा राजपुरा स्त्रीबा

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 439
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18/10/25

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,